न्यायालय उप जिलाधिकारी सोरॉव, प्रयागराज।

वाद संख्या–टी202202030309734 अन्तर्गत धारा–80(2) उ0प्र0 राजस्व संहिता
मौजा कल्यानपुर परगना व तहसील सोरॉव
जनपद प्रयागराज।

आर0एम0एस0 कालेज बनाम सरकार

निर्णय

प्रस्तुत वाद आर0एम0एस0 कालेज द्वारा प्रबन्धक मनीष शुक्ला पुत्र रामसूरत शुक्ला निवासी ग्राम भाव परगना बिहार तहसील कुण्डा जनपद प्रतापगढ द्वारा प्रार्थना पत्र पर धारा 80(2)उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत इस आशय का योजित किया गया है कि आवेदक मौजा कल्यानपुर परगना व तहसील सोरांव जनपद प्रयागराज की गाटा सं0 2680 रकबा 1.2600हे0 मे से 0.6840हे0 भूमि पर बाऊन्ड्रीवाल बनी है। जो सम्पूर्ण रूप से अकृषिक हो गयी है। आवेदक ने अपने कथन के साक्ष्य में कम्प्यूटर खतौनी वर्ष 1424–1429फ0 बावत खाता सं0 00005 गाटा सं0 2680 रकबा 1.2600हे0 की कम्प्यूटराइज खतौनी संलग्न किया है। तथा उप निबन्धक सोरांव द्वारा आगणित मालियत रू0–2271000/–का एक प्रतिशत रू0 22710/–का एक प्रतिशत ट्रेजरी चालान भारतीय स्टेट बैंक शाखा सोरांव में जमा किया है। तथा एक प्रतिशत प्रतिशत रू0–22710/ई स्टाम्प ई स्टाम्प जमा किया जो संलग्न पत्रावली है, जो संलग्न पत्रावली है।

तहसीलदार सोरांव से जांच आख्या प्राप्त की गयी। राजस्व निरीक्षक ने अपनी आख्या दिनांक 05.07.2022 द्वारा अवगत कराया है गाटा सं0 2680 रकबा 1.2600हे0 में से 0.6840हे0 पर वर्तमान समय में कृषि कार्य नहीं होता है। वादी की भूमि पर बाऊन्ड्रीवाल बनी है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य किया जाना सम्भव नही है, भूमि पूरी तरह से अकृषिक हो चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व निरीक्षक की आख्या दिनांक 05.07.2022 तहसीलदार सोरांव की आख्या दिनांक 27.09.2022 एवं गाटा सं0 2680 रकबा 1.2600हे0 भूमि की कम्प्यूटर खतौनी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उपरोक्त आराजी गांव सभा, तालाब आदि की भूमि नहीं है। आराजी निजाई में आवेदक का नाम संक्रणीय भूमिधर दर्ज है।

आदेश

अतः राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार सोरांव की आख्या दिनांक 05.07.2022 व 27.09.2022 से सहमत होते हुए आदेश हुआ कि मौजा कल्यानपुर परगनो व तहसील सोरांव जनपद प्रयागराज की खाता सं0 00005 गाटा सं0 2680 रकबा 1.2600हे0 मे से 0.6840हे0 भूमि को अकृषिक/व्यावसायिक घोषित करते हुये लगान से मुक्त निम्न शर्तों के अधीन किया जाता है। शेष प्रविष्टियां यथावत बनी रहेगी। तहसीलदार सोरांव की आख्या दिनांक 27.07.2022 आदेश का अंग होगी। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की एक प्रति अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) महोदय इलाहाबाद एवं उप निबंधक सोरांव को भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उप जिलाधिकारी सोरांव

..........2

शर्त

1–आवेदक धारा–80(2) के अधीन घोषणा के दिनांक से पाँच वर्ष की अवधि के भीतर गैर कृषि व्यावसायी गतिविधि प्रारम्भ करने में विफल रहता है तो धारा–80(2) के अधीन जोत या उसके आंशिक भाग की घोषणा व्यपगत हो जायेगी।

2–धारा–80(2) के अधीन घोषणा, भू–उपयोग परिवर्तन की कोटि में नहीं होगी और उक्त भूमि निरन्तर कृषि भूमि के ही रूप में समझी जायेगी। तथापि भूमिधर ऐसी जोत या उसके आंशिक भाग, जिसके लिए इस उपधारा के अधीन घोषणा प्राप्त की गयी है पर प्रस्तावित गतिविधि अथवा परियोजना के लिए ऋण और अन्य आवश्यक अनुज्ञाएँ, समाशोधन आदि प्राप्त करने का हकदार होगा।

3–आवेदक धारा–80(2) के अधीन घोषणा से पाँच वर्ष की अवधि के भीतर निर्माण क्रिया–कलाप पूर्ण कर लेने या प्रस्तावित गैर कृषि क्रिया–कलाप प्रारम्भ करने के पश्चात धारा–80(2) की घोषणा को उपधारा 80(1) की घोषणा से आच्छादित करने के लिए न्यायालय के समक्ष आवेदन कर सकता है।

4–धारा–80(2) के अधीन घोषणा का धारा–80(1) के अधीन घोषणा में संपरिवर्तन के लिए भूमिधर पूर्व में उपधारा–80(2) के अधीन घोषणा के लिए अपने द्वारा पहले ही भुगतान की गई धनराशि का समायोजन करने के पश्चात प्रचलित सर्किल रेट पर आगणित संदेय शुल्क की मात्र अवशेष धनराशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

28/09/2021

उप जिलाधिकारी सोरांव,
प्रयागराज।